

विवाद से निपटना?

सामुदायिक न्यायिक केन्द्र आपके विवाद को सुलझाने में मदद कर सकते हैं

क्या आप किसी वाद विवाद से निपट रहे हैं?

विवाद जीवन के कई क्षेत्रों में उठ सकते हैं- चाहे वह किसी पड़ोसी के साथ बाड़े को ले कर हुई गलतफहमी हो, आप और परिवार के किसी सदस्य के बीच असहमति हो, आपके कार्यस्थल पर टकराव हो, या किसी ऋण पर झगडा हो। विवाद से निपटना तनावपूर्ण व महंगा हो सकता है।

सामुदायिक न्यायिक केन्द्र आपके विवाद को बीच-बचाव द्वारा शीघ्र व निःशुल्क सुलझाने में मदद कर सकते हैं। बीच-बचाव सेवाएँ:

- निःशुल्क
- तत्काल
- सुविधाजनक
- स्वैच्छिक
- गोपनीय हैं।

बीच-बचाव क्या है?

बीच-बचाव एक अनौपचारिक, समस्या सुलझाने की प्रक्रिया है। इसमें लोगों का साथ आ कर विवाद के बारे में बात करना और एक ऐसे समझौते पर पहुँचने की कोशिश करना शामिल है जो हर कोई निबाह सकता है। बीच-बचाव निष्पक्ष, प्रशिक्षित बिचौलियों द्वारा कराया जाता है। बिचौलिए किसी का पक्ष नहीं लेते या आपके विवाद के बारे में निर्णय नहीं करते हैं। उनका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके कहने का अवसर मिले, बातचीत पटरी पर रहे और जहाँ भी संभव हो आपको समझौते पर पहुँचने की मदद करें।

किस प्रकार के विवाद उपयुक्त हैं?

बीच-बचाव निम्न विवादों को हल करने में मदद कर सकता है:

- पड़ोसी
- परिवार
- समुदाय या संघ
- स्कूल
- कार्यस्थल
- व्यापार
- पैसे के मामले
- और भी अधिक

यह कैसे काम करता है?

1. आप सामुदायिक न्याय केन्द्रों को 1800 990 777 पर फ़ोन करें

हम आप के साथ बीच-बचाव की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, आपके विवाद के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, और बात करेंगे कि क्या बीच-बचाव आप के लिए उपयुक्त है।

2. हम विवादग्रस्त अन्य व्यक्ति या लोगों से संपर्क करते हैं

ज्यादातर मामलों में, बीच-बचाव सत्र में भाग लेना स्वैच्छिक है। बीच-बचाव केवल तभी होगा अगर दूसरा व्यक्ति इस बात से सहमत हो।

यदि हर कोई बीच-बचाव करने के लिए सहमत है तो हम एक उपयुक्त समय और तिथि, और एक सुविधाजनक स्थल की व्यवस्था करेंगे (जैसे कि एक सामुदायिक न्याय केंद्र कार्यालय, अदालत, या सामुदायिक केन्द्र)।

यदि अन्य व्यक्ति या लोग बीच-बचाव करने के लिए सहमत नहीं हैं, तो आप अपने विकल्प और अन्य सेवाओं के बारे में बात कर सकते हैं जो आप की सहायता कर सकें।

3. बीच-बचाव

विवाद में शामिल लोग और एक या दो बिचौलिया मिलेंगे। बिचौलिया इस प्रक्रिया को समझाएँगे, और प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी रुकावट के अपनी चिंताओं की रूपरेखा बताने का मौका देंगे।

बिचौलिया हर किसी को उनके पहचाने गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और आपको विवाद को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में सोचने के लिए मदद करेंगे।

समूह चर्चा के साथ-साथ बिचौलियों के साथ निजी तौर पर मिलने का समय भी होगा। दोनों पार्टियों के पास जिस समझौते पर विचार विमर्श किया जा रहा है उसके बारे में सोचने के लिए भी समय होगा।

अधिकांश बीच-बचाव दो और चार घंटों के बीच होता है। यदि आवश्यक हो तो एक दूसरे सत्र की व्यवस्था की जा सकती है।

4. बीच-बचाव के परिणाम

अधिकांश बीच-बचाव समझौते में खत्म होते हैं। जब समझौते पर पहुँच जाते हैं तब बिचौलिया समझौता लिखने में मदद कर सकता है और हर एक को एक प्रतिलिपि देगा। यहां तक कि जहां हर बात पर समझौता करना संभव नहीं होता वहाँ बीच-बचाव मुद्दों को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है।

बीच-बचाव क्यों इस्तेमाल करें

बीच-बचाव लोगों को विवादों का निपटारा करने हेतु एक दूसरे से बात करने के लिए प्रशिक्षित बिचौलियों की सहायता के साथ एक सुरक्षित और अनौपचारिक माहौल प्रदान करता है।

सामुदायिक न्याय केन्द्रों में लगभग 80 प्रतिशत बीच-बचाव में समझौता हो जाता है

सामुदायिक न्याय केन्द्रों के साथ बीच-बचाव निःशुल्क और सुविधाजनक है। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है!

हमसे कैसे संपर्क करें

हमारे किसी स्टाफ़ से बात करने के लिए **1800 990 777** पर निःशुल्क फ़ोन करें। वैकल्पिक रूप से, आप हमें cjc_info@agd.nsw.gov.au पर ईमेल कर सकते हैं

यदि आप बहरे हैं, या आपको सुनने या बोलने की परेशानी है तो 1800 555 677 (टी टी वाई) या 1800 555 727 (बोलने और सुनने के लिए) पर राष्ट्रीय रिले सेवा के माध्यम से हमसे संपर्क करें।

यदि आपको हमारे साथ बात करने के लिए एक दुभाषिण की जरूरत है तो अनुवाद और दुभाषिया सेवा (TIS) को 131 450 पर संपर्क करें।

अधिक जानकारी या इस जानकारी के अनुवाद के लिए हमारी वेबसाइट www.cjc.nsw.gov.au पर जाएँ